

संतुष्टि शिक्षा निदेशक  
इलॉग्याद पब्लिक इलाहाबाद  
राज्य मे

संतुष्टि

कै-टी-यू गांधीजीका शिक्षा पारिषद  
शिक्षा कोर्स & समुदाय कोर्स  
शीतो विहार, नवी दिल्ली

परामर्श, रिपोर्ट,

/2011-12 दिनांक 28.06.2012

विषय : एलॉग्यादी पब्लिक रग्डल इलाहाबाद गो री० वी० एरा० ई० नयी दिल्ली से राख्याता  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

*06/05/2022*  
Principal  
(Geeta Arora)  
LDC PUBLIC SCHOOL  
22, Mu Stone, Allahabad Pratapgarh Highway,  
Sonon Prayagraj

(2)

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान अकृष्ट करते हुए शारानादेश सरकार  
1916 / 15-7-09-1(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति की  
संस्तुति दिनांक 28.06.2012 के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०वी०एस०ई०नयी दिल्ली से  
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने से राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्द्धों के अधीन  
आपत्ति नहीं है:-

- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी वर्चों  
के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/वेसिक शिक्षा परिषद  
द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं  
लिया जायेगा।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मौग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में  
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेप्ट्रल  
वोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नयी दिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टाफिकेट  
इक्यामिनेशन नयी दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त  
होने की तिथि उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से  
प्राप्त अनुदान रखतः समाप्त हो जायेंगे।
- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं  
के कर्मचारियों को अनुमन्य येतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम येतनमान तथा अन्य भत्ते  
नहीं दिये जायेंगे।
- कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर  
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये  
जायेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका  
पालन करेंगी।
- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णनुगोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन  
नहीं किया जायेगा।

सी०वी०एस०ई० नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित नूनतम आईता से गुक्त अध्यापक नियुक्त किये  
जायेंगे।



- 11 शिक्षालय की समस्या को नहीं जाना।
- 12 प्राप्त वासा के 10% तक तक बढ़ावा देने में असफल।
- 13 शिक्षण कक्ष / प्रयोगशाला / प्रबन्धालय, विद्यालय की समस्या का अध्ययन करना।
- 14 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार द्वारा नहीं रखा जाना।
- 15 विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि का प्रबन्ध गोपनीय तात्पुरता के बिना नहीं विलगा जायेगा।

उक्त प्रतिवेदनों का पालन करना सरथा के लिए अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धी के सरथा के 04 अप्रशिखित शिक्षकों के रहने पर प्रशिखित अध्यापक रखे जाएं। सरथा के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से जो काम देतें हैं विद्या जा रहा उसे पूर्ण किया जाय एवं प्रदत्त गर्भीय एक ही परिवार एवं सभा सम्बद्धी को नहीं रखा जायेगा और यदि किसी समय यह पालन न हो कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवेदनों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूूँ का या शिथितता दर्ती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पर दापत्त ले लिया जायेगा।

भद्रीय

(अमर नाथ दर्मा)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या/शिविर/ 2766-72 /2011-12 उसीतिथि को

प्रतिलिपि निम्नांकित को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु प्रेषित:-

- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
- शिक्षा निदेशक(मा०) ३०प्र०, शिविर कार्यालय १८ पार्करोड, लखनऊ।
- जिल्हा विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय ३०प्र० लखनऊ।
- प्रबन्धक, एल०टी०सी० पब्लिक स्कूल इलाहाबाद।
- कार्यालय गार्ड पत्रावली।

340  
(अमर नाथ दर्मा) १५.८.  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद



Principal  
(Geeta Arora)  
LDC PUBLIC SCHOOL  
२०११-१२ अंकुश प्रशिक्षण संस्कार  
लोकोन्नति प्रवर्गन

Mobile No : ९१३१५१२  
School code : ७०८४२